

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृति आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क.सं	नाम व्याख्याता भव पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	मनोरमा शर्मा राबाउमावि छोटी चौपड़, जयपुर	इतिहास	01.08.1957	31.07.2017
2	बीरमाराम राउमावि मेवड़ा, नागौर	इतिहास	22.02.1958	28.02.2018
3	उमादत्त वर्मा राउमावि, मण्डावा, झुंझुनू	वाणिज्य	07.05.1957	31.05.2017
4	नृसिंह राम शर्मा राउमावि, बापिणी, जोधपुर	वाणिज्य	10.07.1957	31.07.2017
5	महावीर प्रसाद बलाई, सेठ जेपी गोयनका, राउमावि, धर्मशाला बेरी, सीकर	वाणिज्य	01.08.1957	31.07.2017
6	सुल्तान सिंह, राउमावि, सुलताना, झुंझुनू	वाणिज्य	05.06.1957	30.06.2017
7	अशफाक अहमद राउमावि, कोटड़ी, कोलायत, बीकानेर	इतिहास	15.08.1957	31.08.2017
8	सुल्तान सिंह, राउमावि, पलथाना, सीकर	इतिहास	01.01.1958	31.12.2017
9	समुद्र सिंह, राउमावि, बादनू, बीकानेर	इतिहास	02.07.1957	31.07.2017

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृति/2016

दिनांक:- 13/4/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैत प्रमाण पत्र जारी करें।

(6) संबंधित प्राध्यापक।

(7) रक्षित पत्रावली।

(8) मन्त्रालय - अजमेर - वेबसाइट पर अपलोड करावत

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)